

- 298 **बकाया की वसूली** :- किसी नियोजक या किसी सदस्य द्वारा देय कोई राशि अगर बकाया है, बोर्ड का सचिव या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, राशि अभिनिश्चित करने के पश्चात, उस राशि के लिये जिला के सम्बद्ध उप समाहर्ता को एक सर्टिफिकेट भेजेगा। सर्टिफिकेट की प्राप्ति के पश्चात जिला समाहर्ता राशि की वसूली वैसा ही विधि से करेगा जैसा भूमि पर राजस्व का बकाया।
- 299 **संविदा का निष्पादन** :- समस्त आदेश तथा अन्य लिखत, बोर्ड के नाम से तैयार तथा निष्पादित किये जायें तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित किये जायें, जैसा कि बोर्ड निर्दिष्ट करें।

### अनुसूची - 1

(नियम 58 (क) नियम 64 (क) नियम 72 (क) और 73 (क))

**उत्थापक साधित्र, वियोजित गियर और तार रज्जु के प्रथम उपयोग से पूर्व किए जाने वाली जांच और परीक्षण की रीति।**

**जांच भार :**

**(1) उत्थापक साधित्र :**

प्रत्येक उत्थापक साधित्र इसके उपसाधन गियर के साथ, ऐसे जांच भार के अध्यक्षीन रखा जाएगा जो निरापद कार्यकरण भार (नि० का० भा०) से इस प्रकार अधिक होगा जैसा निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट है :-

सारणी	
निरापद कार्यकरण भार	जांच भार
20 टन तक	निरापद कार्यकरण भार से 25 प्रतिशत अधिक
20 से 50 टन	निरापद कार्यकरण भार से 5 टन अधिक
50 से अधिक	निरापद कार्यकरण भार से 10 प्रतिशत अधिक

(2) **वियोजित गियर :**

- (क) प्रत्येक रिग, हुक, चैन, शैकल, सिववैल, आई-बोल्ट, प्लैट क्लैम्प, त्रिभुजाकार प्लैट अथवा घिरनी खंड (सिबान एकल शीव खंड के) ऐसे जांच भार के अध्याधीन रखा जाएगा जो निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम नहीं होगा

**सारणी**

निरापद कार्यकरण भार (टनों में)	जांच भार (टनों में)
25 तक	2 x निरापद कार्यकरण भार
25 से ऊपर	(1.22 x निरापद कार्यकरण भार) + 20

- (ख) एकल शीव खंड के मामले में निरापद कार्यकरण भार ऐसा अधिकतम भार होगा जिसे खंड, जब इसे शीर्ष फिटिंग द्वारा लटकाया गया हो और भार उस रज्जु से जोड़ा गया हो जो खंड की शीव के चारों ओर लिपटी है, सुरक्षित रूप से उठा सकता है और प्रस्तावित निरापद कार्यकरण भार के चार गुणा से कम कार्य भार खंड के शीर्ष पर नहीं लगाया जाएगा ।

- (ग) बहु शीव खंड के मामले में, जांच भार निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम नहीं होगा :

**सारणी**

निरापद कार्यकरण भार (टनों में)	जांच भार (टनों में)
25 तक	2 x निरापद कार्यकरण भार
25 से 160	(0.9933 x निरापद कार्यकरण भार) + 27
160 से ऊपर	1.1 x निरापद कार्यकरण भार

- (घ) हस्त-चालित घिरनी खंडों के, जो स्थिर चैनों और रिगों, हुकों, शैकलस अथवा इससे स्थायी रूप से जुड़ी सिववेल के साथ प्रयुक्त होते हैं, मामले में वह जांच भार लगाया जाएगा जो निरापद कार्यकरण भार से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होगा ।

- (ड.) बालटी से युक्त धिरनी खंड की दशा में, बालटी की जांच की जाएगी और उस खंड की जांच के दौरान बालटी पर लगाए गए भार को बालटी के जांच भार के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।
- (च) दो टांगों वाली स्लिंग की दशा में, निरापद कार्यकरण भार तब संगणित किया जाएगा जब दोनों टांगों के बीच 90 अंश का कोण हो। कई टांगों वाली स्लिंग की दशा में निरापद कार्यकरण भार राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संगणित किया जाएगा ।
- (छ) प्रत्येक उत्पापकबीम, उत्पापक विरचना, छिड़काल करने वाला पात्र (कन्टेनर सप्रेडार) बालटी, अब अथवा अन्य समान युक्तियों पर नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम जांच भार नहीं लगाया जाएगा :

### सारणी

प्रस्तावित निरापद कार्यकरण भार (टनों में)	जांच भार (टनों में)
10 तक	2 x निरापद कार्यकरण भार
10 से 160	(1.04 x निरापद कार्यकरण भार) + 9.6
160 से ऊपर	1.1 x निरापद कार्यकरण भार

- (ज) तार रज्जु : तार रज्जुओं की दशा में एक नमूने की, जब तक वह नष्ट न हो जाए, जांच की जाएगी । जांच प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी । निरापद कार्यकरण भार उस भार को जिस पर नमूना टूट जाता है, उपयोग के गुणांक से जो निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्टानुसार अवधारित होता है, भाग देकर निश्चित किया जाएगा :

### सारणी

मद	उपयोग का गुणांक
(क) वह तार रज्जु जो स्लिंग का भाग है :	
स्लिंग का नि. का. भा. 10 टन तक	
एवं उसके बराबर नि० का भा०	5
10 टन से ऊपर 160 टन तक या	10
160 टन के बराबर	8.85 नि० का० भा० + 1910
160 टन से ऊपर नि. का. भा.	3

(ख) वह तार रज्जु जो उत्पादक साधित्र का अभिन्न अंग है :

उत्पादक साधित्र का नि. का. भा.

160 टन तक या उसके बराबर

सु. का. भा.

10

---

(8.85 x नि. का. भा. ) + 1910

3

160 टन से ऊपर नि० का० भा०

(झ) कोई जांच किये जाने के पूर्व लगे हुये उत्पादक साधित्र या उत्पादक गियर का प्रत्यक्ष निरीक्षण संचालित किया जायगा और कोई प्रकार खराब गियर प्रतिस्थापित या नवीकृत किया जायगा ।

(ञ) जांच किये जाने के पश्चात समस्त उत्पादक गिअर का यह देखने के लिये परीक्षण किया जायेगा कि क्या कोई भाग जांच से क्षतिग्रस्त या स्थायी रूप से विरूपित हुये है,

### जांच की प्रक्रिया : -

(3) डेरिक :

(क) डेरिक की जांच ऐसी अवस्था में होगी जब इसकी बूम इसके क्षैतिज से जिसके लिए डेरिक बनाया गया है, न्यूनतम कोण पर हो (साधारणतया 15 अंश) अथवा कोई ऐसा बड़ा कोण जिस पर सहमति हो । वह कोण जिस पर जांच की गई है जांच प्रमाण पत्र में उल्लिखित होगा । जांच भार चल बाटों के उत्तोलन द्वारा लगाया जाएगा । जांच के दौरान बूम को जांच भार के साथ दोनों दिशाओं में जहां तक हो सके झुलाया जाएगा ।

(ख) लटके हुए भार के साथ शक्ति से ऊपर उठाये जाने के लिए बनाये गए डेरिक बूम को (क) में की जांचों के अतिरिक्त (लटके हुए भार के साथ) क्षैतिज से और दो बाह्यतम स्थितियों से अधिकतम कार्य करण कोण तक उठाया जाएगा ।

(ग) भारी उत्पादक डेरिक पर जांच भार लगाते हुए, जांच के लिए जिम्मेदार सक्षम व्यक्ति उस पर चल बाट लगाते समय मालिक से यह अभिनिश्चित करेगा कि पोत जांच के लिए पर्याप्त मजबूत है ।

(4) खंड (3) के अधीन जांचे गए डेरिक का उपयोग संघ क्रय रिंग में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि :

- (क) संघ क्रय रिगड डेरिकों की जांच संघ क्रय में नि. का. भा. के समुचित जांच भार से नहीं की जाती (बनाए गए हैडरूम पर और जब डेरिक बूम अपनी अनुमोदित कार्यकरण स्थितियों में हो) :
- (ख) उस डेरिक का संघ क्रय रिग में दिया निरापद कार्यकरण भार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्ररूप V की रिपोर्ट में भी विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता ;
- (ग) उक्त रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं या शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता ; और
- (घ) दोनों उत्तोलक रज्जुओं की स्विचवैल एसेम्बली द्वारा इकट्ठे युग्मित नहीं किया जाता ।

टिप्पण : डेरिकों का निरापद कार्यकरण भार (संघ क्रय सहित रिग की प्रत्येक रीति के लिए) जांच के प्रमाण पत्र पर उपदर्शित किया जाएगा और डेरिक बूमों पर भी चिहनांकित किया जाएगा ।

- (5) उत्थापक साधित्र
- (क) जांच भार को ऊपर उठाया जाएगा और दोनों दिशाओं में जितनी दूरी तक संभव हो झुलाया जाएगा । यदि क्रेन के जिब या बूम का अर्धव्यास परिवर्तनशील है तो उसकी जांच अधिकतम और न्यूनतम अर्धव्यासों पर जांच भार लगाकर की जाएगी । हाइड्रोलिक क्रेनों की दशा में जब दबाव की परिसीमा के कारण मद (1) के अधीन सारणी के अनुसरण में जांच भार उठाना असंभव है तब सर्वाधिक संभव भार को जो निरापद कार्यकरण भार से अधिक होगा, उठाना पर्याप्त है ।
- (ख) जांच अधिकतम, न्यूनतम और मध्यवर्ती अर्धव्यास बिन्दुओं पर और साथ ही चक्रानुक्रम के वृत्तांश के ऐसे बिन्दुओं पर जो सक्षम व्यक्ति विनिश्चित करे संपादित की जाएगी । जांच में उत्तोलन, नीचे करना, तोड़ना और सभी स्थितियों में भुनाना ओर समान्यतः संपादित संक्रियाएं सम्मिलित है । निरापद कार्यकरण भार लटकाकर मशीन कार उसकी अधिकतम कार्यकरण गति पर परिचालन कर एक अतिरिक्त जांच भी की जाएगी ।
- (6) जांच भार डालने के लिए स्प्रिंग या हाइड्रोलिक तुला इत्यादि का उपयोग :

सामान्यतः सभी जांचे स्थावर बाटों की सहायता से की जाएगी । कालिक जांच प्रतिस्थापना या नवीकरण, की दशा में जांच भार स्प्रिंग या हाइड्रोलिक तुला के द्वारा लगाया जा सकता है । ऐसे मामलों में, जांच भार, तब बूम दोनों दिशाओं में यथासासध्य बाहर हो, लगाया जाएगा । जांच को जब तक संतोषप्रद नहीं माना जाएगा जब तक कि तुला - 2.0 प्रतिशत तक की यथार्थता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की जाती और मशीन की सुई जांच भार पर कम से कम पांच मिनट की अवधि के लिए स्थिर नहीं रहती ।

- (7) जांच करने वाली मशीनें और स्थावर बाट :
- (क) जंजीरों, तार रज्जुओं और अन्य उत्थापक गियरों की जांच के लिए उपयुक्त जांच मशीनों का उपयोग किया जाएगा ;
- (ख) जांच भार लगाने, जांच और चैक करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जांच मशीनों और तुलाओं का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती बारह मासों में कम से कम एक बार यथार्थता के लिए प्रमाणित न किए गए हों ;
- (ग) उत्थापक साधित्रों को जांच भार लगाने में प्रयुक्त होने वाले जंगम बाट, जिनका निरापद कार्यकरण भार बीस टन से अधिक नहीं है, यथार्थता के लिए प्रमाणित यथार्थता वाली उपयुक्त तुलन मशीन द्वारा चैक किए जाएंगे ।
- (8) जांच अथवा जांच के लिए भार लगाने के पश्चात् संपूर्ण परीक्षण :

जांच अथवा जांच के लिए भार लगाने के पश्चात् प्रत्येक उत्थापक साधित्र और सहयुक्त गियर की संपूर्ण जांच यह देखने के लिए की जाएगी कि जांच के दौरान इनके किसी भाग को नुकसान तो नहीं पहुंचा अथवा वह स्थायी तौर पर विरूपित तो नहीं हो गया ।

इस प्रयोजन के लिए उत्थापक साधित्र या गियर को उस प्रमाण तक खोला जाएगा जिसे सक्षम व्यक्ति आवश्यक समझता है ।

## अनुसूची -2

### भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में अधिसूचनीय

#### उपजीविका जन्य रोग

(नियम 233 (क) देखें )

1. उपजीविकाजन्य त्वचा शोध
2. उपजीविकाजन्य कैंसर
3. एस्वेस्टोसिस
4. सिलिकोसिस
5. सीसा विषाक्तता जिसमें सीसे की किसी निर्मिती या सम्मिश्रण या उनके अनुगम की विषाक्तता सम्मिलित है ।
6. बैनजीन विषाक्तता जिसमें इसकी किसी सजातीय, उनके नाइट्रो अथवा अमाइडो व्युत्पन्न या इसके अनुगम की विषाक्तता सम्मिलित है ।
7. उपजीविकाजन्य दमा
8. जीवनाशी विषाक्तता

9. कार्बन मोनो आक्साइड विषाक्तता
10. विषैली पीलिया
11. विषैली रक्तक्षीणता
12. संपीडित वायु रूग्णता (रो नीष कोष्ठक)
13. शोर प्रेरित श्रवण क्षति
14. आइसोसाइनेट विषाक्तता
15. विषैली नैफराइटिस ।

### अनुसूची -3

#### प्राथमिक उपचार पैटिका की अंतर्वस्तु (नियम 234 (ख) देखें )

- i) आसुत जल अथवा उपयुक्त द्रव से भारी नेत्र धवन बोतलों की पर्याप्त संख्या जो सदैव दृश्यमान सुभेदक चिन्ह द्वारा उपदर्शित होगी ।
- ii) 4% जाइलोकेन आई ड्राप्स और बौरिक एसिड आई ड्राप्स और सोडा बाई कार्बोनेट आई ड्राप्स ।
- iii) चौबीस छोटी विसंक्रमित मरहम पट्टी ।
- iv) बारह मध्यम आकार की विसंक्रमित मरहम पट्टी ।
- v) बारह बड़े आकार की विसंक्रमित मरहम पट्टी ।
- vi) बारह बड़े आकार की विसंक्रमित बर्न मरहम पट्टी ।
- vii) बारह (पन्द्रह से 0मी0) विसंक्रमित रूई के पैकेट ।
- viii) सिटरी माईड चोल (1 प्रतिशत) या उपयुक्त पूर्तिरोधी घोल की बोतल (दो सौ मि0ली0)
- ix) पानी में मरक्यूरोक्रोम (2 प्रतिशत) घोल की 1 बोतल (दो सौ मि0 ली0)
- x) एमोनियम कार्बोनेट की 1 बोतल (एक सौ बीस मि0 ली0) जिसके लेबल पर डोज और उसको देने/लगाने की रीति उपदर्शित हो ।
- xi) एक कैंची
- xii) आसंजक प्लास्टर का एक रोल (छ से 0 मी0 x एक मीटर )

- xiii) आसंजक प्लास्टर के दो रोल (दो से0 मी0x एक मीटर)
- xiv) पृथक पैकेट में सीलबंद बारह विसंक्रमित आई पैड ।
- xv) सौ एस्पिरिन या अन्य कोई पीड़ाहारी गोलियां (प्रत्येक तीन सौ पच्चीस मि0 ग्रा0 की) से युक्त एक बोतल
- xvi) दस से0मी0 चौड़ी बारह रोलर पट्टियां
- xvii) पांच से0 मी0 चौड़ी बारह रोलर पट्टियां
- xviii) एक टुर्निकेट
- xix) उपयुक्त स्पलिनट की पूर्ति
- xx) सुरक्षा पिन के तीन पैकेट
- xxi) गुरदा ट्रे
- xxii) एक सर्पदंश नश्टर
- xxiii) पोटेशियम परमेनगेट क्रिस्टलस से युक्त एक बोतल (तीस मि0ली0)
- xxiv) मुख्य निरीक्षक द्वारा जारी किए गए प्राथमिक उपचार के पर्चे की एक प्रति ।
- xxv) छ त्रिभुजाकार पट्टियां
- xxvi) दो उपयुक्त, विसंक्रमित, असंस्कृत खंड के दस्तानों के जोड़े ।

#### अनुसूची - 4

#### (नियम 229 (ग) देखें)

एम्बुलेंस कमरे के लिए विषय सूची :-

- i) एक कांचक सिंक जिसमें गर्म और ठंडा पानी सदैव उपलब्ध रहे ।
- ii) चिकने फलक वाली एक मेज जो कम से कम 180 से0मी0 x 105 से0मी0 हो ।
- iii) उपकरणों को विसंक्रमित करने के साधन ।



- iv) एक कोच
- v) दो स्ट्रेचर
- vi) दो बाल्टियां अथवा पात्र जिनके ढक्कन मजबूती से बंद होते हों ।
- vii) दो रबड़ के गर्म पानी के थैले ।
- viii) एक केतली और स्पिरिट स्टोव अथवा पानी उबालने का कोई उपयुक्त साधन
- ix) बारह लकड़ी के समतल स्पलिनट 900 से०मी० x 100 से०मी० x 6 से०मी०
- x) बारह लकड़ी के समतल स्पलिनट 350 से०मी० x 75 से०मी० x 6 से०मी०
- xi) छह लकड़ी के समतल स्पलिनट 250 से०मी० x 50 से०मी० x 12 से०मी०
- xii) छह ऊन के कंबल
- xiii) तीन धमनी चिमटी के जोड़े
- xiv) स्पिरिट एनिमी एरिमेंशन की एक बोतल (120 मि०ली०)
- xv) स्मैलिंग साल्ट (60 ग्राम)
- xvi) दो मध्यम आकार की स्पंज
- xvii) छह छोटे तौलिए
- xviii) चार गुरदा ट्रे
- xix) चार हाथ धोने के साबुन की जो अधिमानतः पुतिरोधी हो, टिक्कियां
- xx) दो कांच के गिलास और दो बाईन के गिलास
- xxi) दो क्लीनिकल थर्मामीटर
- xxii) दो छोटे चम्मच
- xxiii) दो अशांकित मापन गिलास (120 मि० ली०)

- xxiv) दो न्यूनतम मापन गिलास
- xxv) आंखें धोने के लिए बाश बोतल (1000 सीसी)
- xxvi) कार्बोलिक लोशन 20 में की एक बोतल (एक लीटर)
- xxvii) तीन कुर्सियां
- xxviii) एक स्क्रीन
- xxix) एक छोटी चोर बत्ती
- xxx) चार प्राथमिक उपचार पेटिकाएं या आलमारियां जिनमें अनुसूची 7 में विहित मानकों के अनुसार सामान हो ।
- xxxi) टैटनस टोक्सॉइड की पर्याप्त पूर्ति ।
- xxxii) मार्फिया, पेथिडाइन, एट्रोफिन, एडरेनेलिन, कोरानाइन, नाबोकाइन के टीके (प्रत्येक 6)
- xxxiii) क्रमाइन द्रव(60 मि०ली०)
- xxxiv) एन्टीहिस्टामिनिक, एन्टीस्थास्मोडिक की गोलियां (प्रत्येक 25)
- xxxv) सिरिजे -2 सी०सी०, 5 सी० सी०,10 सी० सी० और 500 सी० सी० की सूईयों के साथ
- xxxvi) तीन शल्यक कैचियां ।
- xxxvii) दो सूई पकड़ने वाले, एक छोटा और एक बड़ा
- xxxviii)टांका लगाने वाली सूईयां और सामान
- xxxix) तीन विच्छेदन करने वाली चिमटियां ।
- xxxx) तीन मरहम पट्टी करने वाली चिमटियां ।
- xxxxi) तीन क्षुरिकाएं ।
- xxxxii) एक परिक्षावक और एक बी० पी० उपकरण ।

xxxxiii) रबड़ पट्टी – दाब पट्टी

xxxxiv) आक्सीजन सिलेंडर आवश्यक संलग्नकों के साथ

xxxxv) ट्रोपाइन आंखों का विलेपन

xxxxvi) आई0 बी0 तरल और सेट 10 की संख्या में ।

xxxxvii) उचित, पांव से खुलने वाले ढक्कन वाले, कचरे के पात्र ।

xxxxviii) पर्याप्त संख्या में विसंक्रमित, असस्कृत रबड़ के दस्तानों के जोड़े ।

### अनुसूची –5

(नियम 230 देखें)

### एम्बुलेंस वैन अथवा गाड़ी की अन्तर्वस्तुएं

**एम्बुलेंस वैन में ऐसे उपस्कर होंगे जो निम्न विहित हैं :**

- (क) साधारण : एक वहनीय स्ट्रेचर जिसके साथ मुड़ना और समायोजी युक्तियों हों, साथ ही स्ट्रेचर, का शीर्ष ऊपर मुड़ने में समर्थ हो । उपस्कर के साथ स्थिर चूषण इकाई । उपस्कर के साथ स्थिर आक्सीजन आपूर्ति /तकिया गिलास के साथ, चादरें, कम्बल, तौलिए, आपातकालीन थैला, बैड पैन्, मूत्रपात्र गिलास ।
- (ख) सुरक्षा उपस्कर : तीन हजार मिनट तक सक्रिय रहने वाला फ्लारोस, फ्लोर, लाइटें, फ्लैश लाइटें, अग्निशामक (शष्क पावर टाइप), विद्युतरोधी गन्टलेट ।
- (ग) आपातकालीन देखभाल उपस्कर :
- (i) पुनरुज्जीवन : वहनीय चूषण इकाई, वहनीय आक्सीजन इकाई, बेगबाल्व मास्क, हाथ से चलने वाली कृत्रिम राबातन इकाई, वायु मार्ग, माउथगैग-ट्रेकियोस्टोमी अनुकूलक, छोटा स्पाइन बोर्ड, अन्तःशिरसीय तरल लगाने वाली इकाई के साथ, रक्तचाप मेनोमीटर, कफ परिश्रावक ।
- (ii) अनम्यता : लम्बे और छोटे गद्देदार बोर्ड, तार सीढ़ी स्पलिट, त्रिभुजाकार पट्टी लम्बे और छोटे स्पाइन बोर्ड ।
- (iii) मरहम पट्टी : गाज पैड – 100 मी0 x 100 मि0ली0 युनिवर्सल मरहम पट्टी 250x1000 मि0ली0, एल्युमिनियम फाइल का रोड, साफ्ट रोलर पट्टी 150 मि0 मी0 x 5 मि0मी0 गज चिपकने वाली टेप, 75 मि0मी0 के रोल में सेफ्टी पिन्, बेन्डेज शीट, बर्न शीट ।
- (iv) विषाक्तता : इपेकाक का सिरप, सक्रियित चारकोल पूर्व पेकेटिड डोरा, सर्पदंश किट, पीने का पानी ।

(v) आपातकालीन दवाइयां : आवश्यकता के अनुसार (निर्माण चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अधीन)

**अनुसूची -6**  
**निरन्तर शोर के मामलों में अनुज्ञेय उच्छन्न**  
**(नियम 35 देखें)**

उच्छन्न का कुल समय (निरन्तर अथवा अल्पकालीन उच्छनों की संख्या ) प्रतिदिन घंटों में	ध्वनि दाब स्तर डी० बी० ए०
(1)	(2)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
11/ 2	102
1	105
3/ 4	110
1/ 2	110
1/ 4	115

- टिप्पणियां : 1. 115 डी. बी. ए. से अधिक का कोई उच्छन्न अनुज्ञात नहीं है ।  
2. उच्छन्न की किसी ऐसी अवधि के लिए, जो स्तम्भ 1 में उपदर्शित किसी अंक और उसके निकटतम ऊपर वाले अथवा नीचे वाले अंक के बीच में आती है, ध्वनि दाब स्तर अनुपातिक आधार पर बहिर्बेध द्वारा निश्चित किया जाएगा ।

### अनुसूची -7

#### भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय जांच की आवर्तिता

#### (नियम 83 (iv) और 226 (क) (iii) देखें)

1. नियोजक ऐसी सभी भवन निर्माण कर्मकारों की जो उत्पादक साधित्रों अथवा परिवहन उपस्करों में चालकों, ऑपरेटरों के रूप में नियुक्त हैं, नियुक्ति से पूर्व और बीमारी अथवा शारीरिक क्षति के पश्चात, यदि यह प्रतीत होता है कि बीमारी अथवा शारीरिक क्षति उसकी समर्थता को प्रभावित किया है और उसके पश्चात चालीस वर्ष की आयु तक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष में एक बार चिकित्सीय जांच की व्यवस्था करेगा ।
2. चिकित्सीय जांच का संपूर्ण और गोपनीय अभिलेख नियोजक अथवा नियोजक द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक रखेगा ।
3. चिकित्सीय जांच में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-
  - (क) संपूर्ण चिकित्सीय और उपजीविकीय इतिहास ।
  - (ख) निम्न के प्रति विशिष्ट निर्देश में रोग विषयक जांच :-
    - (i) सामान्य शरीर गठन :
    - (ii) दृक्शक्ति : मानक औरथेरेटर जैसे कि टिटमस दृक् शक्ति परीक्षक का उपयोग करके टोटल विजुअल परफार्मेंस का प्राक्कलन किया जाएगा और विहित नौकरी मानों के अनुसार नियोजन की उपयुक्तता अभिनिश्चित की जाएगी ।
    - (iii) श्रवण शक्ति : सामान्य श्रवण वाले व्यक्ति किसी फोर्सड सरगोशी को चौबीस फुट की दूरी से सुनने में समर्थ होने चाहिए । श्रवण सहाय प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति कोलाहलपूर्ण कार्यकरण परिस्थितियों में चेतावनी पुकार सुनने में समर्थ होना चाहिए ।
    - (iv) श्वसन : मानक पीक फ्लो मीटर का प्रयोग करते हुए पीक फ्लो दर का और इस प्रकार की गई जांच के पाठ्यांकों से औसत पीक फ्लो दर का निर्धारण । पूर्व नियोजन चिकित्सीय जांच के अभिलेखित परिणाम उस व्यक्ति के, उसी ऊंचाई पर पश्चात्पूर्वी जांचों के लिए मानक निर्देश के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं ।

- (v) ऊपरी अंग : पर्याप्त बाहु कृत्य और पकड़ (दोनों बाजुओं की) ।
- (vi) नीचला अंग : पर्याप्त टांग और पांव कृत्य ।
- (vii) रीढ़ की हड्डी : संबंध नौकरी के लिए पर्याप्त लचीली ।
- (viii) साधारण : अच्छे आंख, हाथ-पांव समन्वयन के साथ दिमागी सतर्कता और स्थिरता ।
- (ग) अन्य कोई परीक्षण जिसे जांच करने वाला डाक्टर आवश्यक समझता है ।

### अनुसूची -8

(नियम 212 (1) और 212 (2) देखें)

**सुरक्षा अधिकारियों की संख्या, अर्हताएं कर्तव्य इत्यादि**

**सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति**

**सुरक्षा अधिकारियों की संख्या -**

इन नियमों के प्रवर्तन के छः माह के भीतर प्रत्येक ऐसी स्थापन जो पांच सौ से अधिक भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजन करती है और भवन निर्माण कर्मकारों का प्रत्येक नियोजक सुरक्षा अधिकारियों की, जैसा कि नीचे दिए गए मापमान में अधिकथित किया गया है, नियुक्ति करेगा :-

1. 1000 भवन निर्माण कर्मकारों तक - एक सुरक्षा अधिकारी
  2. 2000 भवन निर्माण कर्मकारों तक - दो सुरक्षा अधिकारी
  3. 5000 भवन निर्माण कर्मकारों तक - तीन सुरक्षा अधिकारी
  4. 10000 भवन निर्माण कर्मकारों तक - चार सुरक्षा अधिकारी
- प्रत्येक अतिरिक्त 5000 भवन निर्माण कर्मकारों या उसके भाग के लिए एक सुरक्षा अधिकारी ।

कोई भी नियुक्ति, जिस समय की जाए ऐसे सुरक्षा अधिकारी की सेवा की अर्हताओं, निर्बंधनों और शर्तों के पूरे ब्यौरे के साथ क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले इन्सपेक्टर को अधिसूचित की जाएगी ।

**अर्हताएं : -**

- (क) कोई व्यक्ति तब सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति का पात्र तब होगा जबकि वह :
  - (i) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या स्थापत्यकला की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त उपाधि रखता हो और उसे किसी भवन निर्माण या किसी अन्य निर्माण कार्य में पर्यवेक्षक की हैसियत में 2 वर्ष के कार्य का व्यवहारिक अनुभव हो अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिक या स्थापत्यकला की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखता हो और उसे किसी भवन निर्माण या किसी अन्य निर्माण कार्य में पर्यवेक्षक की हैसियत में कम से कम पांच वर्ष के कार्य का व्यवहारिक अनुभव हो ;

- (ii) औद्योगिक सुरक्षा में मान्यता प्राप्त उपाधि या डिप्लोमा रखता हो जिसका कम से कम एक पेपर निर्माण सुरक्षा (ऐच्छिक विषय के रूप में) हो ; और
- (iii) उस निर्माण स्थल के, जहां उसकी नियुक्ति की जानी है, बहुसंख्यक भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की पर्याप्त जानकारी रखता हो ।
- (ख) खंड (क) में किसी उपबंध के होते हुए, कोई व्यक्ति जो :-

- (i) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या स्थापत्यकला में मान्यता प्राप्त उपाधि या डिप्लोमा रखता है और ऐसे क्षेत्र में जो फैक्टरी अधिनियम, 1948 या डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और या भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के प्रशासन से जुड़ा है, कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता है ।
- (ii) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मान्यता उपाधि या डिप्लोमा रखता है और या भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य से जुड़े किसी उद्योग पत्तन किसी संस्था या किसी स्थापन में दुर्घटना निवारण के क्षेत्र में शिक्षा, परामर्श या अनुसंधान का प्रशिक्षण लिया हो ।

सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह कि, ऐसे व्यक्ति के मामले में जो भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य जुड़े किसी उद्योग या पत्तन, संस्था या किसी स्थापन में सुरक्षा अधिकारी के रूप में अवधि से कार्य कर रहा हो, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को कम से कम तीन वर्ष की मुख्य निरीक्षक, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह विनिर्दिष्ट कर सकता है, उपर्युक्त अर्हताओं में से सभी को या किसी को शिथिल कर सकता है ।

### सेवा की शर्तें :-

- (क) जहां नियुक्त सुरक्षा अधिकारियों की संख्या एक से अधिक हो, वहां उनमें से एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा और उसकी हैसियत अन्यो से ऊपर होगी । मुख्य सुरक्षा अधिकारी इस अनुसूची में परिकल्पित सभी सुरक्षा कृत्यों का और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाले अन्य सुरक्षा अधिकारियों के समग्र प्रभार में होगा ।
- (ख) मुख्य सुरक्षा अधिकारी, या सुरक्षा अधिकारी जहां केवल एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त है, को वरिष्ठ कार्यपालक की हैसियत प्रदान जायगी और वह मुख्य कार्यपालक के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा । अन्य सभी सुरक्षा अधिकारी को समुपयुक्त हैसियत प्रदान की जायेगी ताकि वे अपने कृत्यों का प्रभावी रूप से निष्पादन कर सकें ।

- (ग) सुरक्षा अधिकारियों जिनमें मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी सम्मिलित है, वेतनमान और भत्ते प्रदान किए जाएंगे और उनकी सेवा की शर्तें भी वही होंगी जो उस स्थापन के जिसमें वे नियोजित हैं के तत्समान अधिकारियों की हैं ।

### **सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य :-**

- (क) सुरक्षा अधिकारी का कर्तव्य नियोजक को उसकी कानूनी अथवा अन्य वैयक्तिक क्षति को रोकथाम और सुरक्षित कार्यकरण वातावरण बनाए रखने संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सलाह और सहायता देना है । इन कर्तव्यों में निम्न हैं अर्थात् :-
- (i) भवन निर्माण कर्मकारों की, वैयक्तिक क्षति को प्रभावी नियंत्रण के उपायों की योजना बनाने और उनके आयोजन करने के लिए सलाह देना ;
- (ii) भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चुनिंदा कार्यकलापों का ब्यौरेबार सुरक्षा अध्ययन करना ;
- (iii) वैयक्तिक क्षति की रोकथाम के लिए किए गए उपायों अथवा प्रस्तावित उपायों की जांच पड़ताल और मूल्यांकन करना ;
- (iv) वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण की खरीद की सलाह देना और उसकी क्वालिटी को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना ;
- (v) भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की, कार्य की भौतिक परिस्थितियों और भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा अपनाए जाने वाली कार्य पद्धति और प्रक्रिया के संप्रेक्षण के लिए सुरक्षा निरीक्षण करना और असुरक्षित भौतिक परिस्थितियों को दूर करने और भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा किए जाने वाले असुरक्षित कार्यों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह देना ;
- (vi) सभी घातक और चुनिंदा दुर्घटनाओं का अन्वेषण करना ;
- (vii) उपणीविकाजन्य रोग लगने के मामलों और रिपोर्ट किए जाने योग्य खतरनाक घटनाओं का अन्वेषण करना ;
- (viii) ऐसे अभिलेखों को, जो दुर्घटनाओं खतरनाक घटनाओं और उपणीविकाजन्य रोगों के संबंध में आवश्यक है बनाए रखने पर सलाह देना ;



- (ix) सुरक्षा समितियों के कार्यकरण को बढ़ावा देना और ऐसी समितियों के सलाहकार के रूप में कार्य करना ;
- (x) संबंधित विभागों के सहयोजन से अभियान, प्रतिस्पर्धाओं प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों का, जो भवन निर्माण कर्मकारों की कार्य की सुरक्षित परिस्थितियों और प्रक्रियाओं की स्थापना में अभिरूचि बढ़ाए और बनाए रखें ;
- (xi) भवन निर्माण कामकारों की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए स्वतंत्र रूप से या अन्य अभिकरणों के सहयोग से उपयुक्त प्रशिक्षण या शिक्षा कार्यक्रम चलाना ;
- (xii) स्थापना के ज्येष्ठ अधिकारियों के परामर्श से सुरक्षा नियमों और सुरक्षित कार्यकरण पद्धतियों को बनाना ;
- (xiii) स्थापना के पत्न, भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में लिए जाने वाले सुरक्षा पूर्वावधानियों कार्य पर्यवेक्षण करना और मार्गदर्शन करना ।

#### **सुरक्षा अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधायें :-**

नियोजक प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधाएं, उपस्कर और जानकारी उपलब्ध कराएगा जो उसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक है ।

#### **अन्य कर्तव्यों के पालन का निषेध :-**

कोई सुरक्षा अधिकारी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा अथवा ऐसा कोई कार्य करने की अनुज्ञा नहीं होगी जो इस अनुसूचि में विहित कर्तव्यों से जुड़ा न हो, असंगत हो अथवा उनके पालन में अहितकर हों ।

#### **छूटें :**

मुख्य निरीक्षक किसी नियोजक अथवा नियोजकों के किसी अन्य समूह को उसके द्वारा ऐसी छूटों के आदेश में अनुमोदित और अधिसूचित किसी अनुकंपी इंतजाम के अनुपालन के अधीन इन नियमों के किसी या सभी उपबंधों से लिखित में छूट दे सकता है ।

**अनुसूची - 9**  
**(नियम 228 देखें)**

**परिसंकटमय प्रक्रिया :**

- (1) छत का कार्य
- (2) इस्पात का निर्माण
- (3) पानी के भीतर और ऊपर कार्य
- (4) भणित करना
- (5) परिरुद्ध स्थानों में कार्य ।

**अनुसूची - 10**  
**(नियम 228 (ख) देखें)**

**व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाएं और सुविधाएं :-**

- (1) ऐसे भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में जो एक हजार तक कर्मकारों का नियोजन करता है, के लिए एक पूर्णकालिक निर्माण चिकित्सा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार कर्मकारों और उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त निर्माण चिकित्सा अधिकारी ।
- (2) प्रत्येक निर्माण चिकित्सा अधिकारी के साथ पूर्ण कार्य-घंटों के लिए स्टाफ जिसमें एक नर्स, एक ड्रेसर एवं कंपाउंडर सफाई वाला एवं वार्ड ब्याए सम्मिलित है ।
- (3) व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसका फर्श क्षेत्र के न्यूनतम पन्द्रह वर्ग मीटर हो जिस पर चिकनी दीवारों और इनपोतियश सेवा वाले दो कमरे बने हो और जो पर्याप्त मात्रा में प्रदीप्त और संवातित हों ।
- (4) रोजमर्रा के उपचार के लिए पर्याप्त उपस्कर ।
- (5) किसी चिकित्सीय आपातकाल के नियंत्रण के लिए आवश्यक उपस्कर ।

### अनुसूची - 11

(नियम 122 (2) और नियम 228 (ग) देखें)

**निर्माण चिकित्सा अधिकारी की अर्हताएं :-**

- (1) भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि, और
- (2) औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा अथवा औद्योगिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण का समतुल्य स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र ।
- (3) एक चिकित्सा अधिकारी के लिए जिसे, खानों, पत्तन तथा डाक कारखानों और भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यों में नियोजित कर्मकारों की नीति, निष्पादन तथा सलाह और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़े संगठन/स्थापन में कम से कम तीन वर्ष का कार्यकरण अनुभव हो, मुख्य निरीक्षक के समाधान के अधीन, उपर मद (2) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण का रखना आवश्यक नहीं है ।
- (4) उपरोक्त प्रमाण पत्र के लिए पाठ्यक्रमों का पाठ्य विवरण और ऐसे पाठ्यक्रम चलाने वाले संगठन राज्य सरकार से अनुमोदित हों और वह समय-समय पर ऐसे संगठनों का पैनल बना सकेगी ।
- (5) निर्माण चिकित्सा अधिकारी के नाम, अर्हता और अनुभव सहित संपूर्ण विशिष्टता अधिकारिता रखने वाले इन्सपैक्टर को प्रज्ञापित की जाएगी ।

### अनुसूची - 12

(नियम 155 (क) देखें)

**कार्यानुकूल वातावरण में कतिपय रसायनिक पदार्थों का अनुज्ञात स्तर**

क्रम संख्या	पदार्थ	उच्छन्न की अनुज्ञा सीमा टाईम-वेएड औसत सांद्रता (टी0डब्ल्यू ए0) (8 घंटे) पी पी एम		लघु अवधि उच्छन्न की सीमा (एस टी इ एल) (15 मिनट) * पी पी एम	
		मी0ग्राम/मी <sup>3</sup> **	मी0ग्राम/मी <sup>3</sup> **	मी0ग्राम/मी <sup>3</sup> **	मी0ग्राम/मी <sup>3</sup> **
1	2	3	4	5	6
1.	एसिटेलीडीहाइड	100	130	150	270
2.	एसिटिक एसिड	10	25	15	37
3.	एसिटीन	750	1700	1000	2375
4.	एरोलिन	0.1	0.25	0.3	0.8
5.	एकरिलोनाइटराइल त्वचा (एस. सी)	2	4.5	—	—
6.	एल्लिडिन-त्वचा	—	0.25	—	—
7.	एलाइड क्लोराइड	1	3	2	6
8.	अमोनिया	25	18	35	27
9.	एनीलाइन - त्वचा	2	10	—	—
10.	एनीसाइडइन	0.1	0.5	—	—

(ओ-पी-आइसोमर)-त्वचा					
11	आरसिनिक और विलेय सम्मिश्रण (ए एस के रूप में)	—	0.2	—	—
1	2	3	4	5	6
12	बेनजीन (एस सी)	10	30	—	—
13	बेरिलियम और सम्मिश्रण (बी ई के रूप में) (एस सी)	—	0.002	—	—
14	बोरॉन ट्राइफ्लोराइड - सी	1	3	—	—
15	ट्रोमीन	0.1	0.7	0.3	2
16	ब्यूटेन	300	1900	—	—
17	2. ब्यूटानोन (मेथायल इथायल कीटोन- एम बी के)	200	590	300	885
18	एन-ब्यूटाइल एसीटेट	150	710	200	950
19	एन-ब्यूटाइल एल्कोहल त्वचा-सी	50	150	—	—
20	सेकेण्डरी/टर्शरी ब्यूटाइल ए सीटेट	200	950	—	—
21	ब्यूटाइल मर्कपटान	0.5	1.5	—	—
22	कैडिमियम धूल और साल्ट (सीडी के रूप में )	—	0.05	—	—
23	कैल्शियम आक्साइड	—	2	—	—
24	कार्बटाइल (संविन)	—	5	—	—
25	कार्बोफ्युरान (फ्युराडान)	—	0.1	—	—
26	कार्बन डाइसल्फाइड त्वचा	10	30	—	—
27	कार्बन मोनोआक्साइड	50	55	400	550
28	कार्बन टैट्राक्लोराइड त्वचा (एस. सी.)	5	30	—	—
29	क्लोरोडेन - त्वचा	—	0.5	—	—
30	क्लोरीन	1	3	3	9
31	क्लोरोबेनजीन (मोनोक्लोरोबेनजीन)	75	350	—	—
32	क्लोरोफार्म (एस0 सी0)	10	50	—	—
33	विस (क्लोरोमेथाइल(ईथर) एचसी)	0.001	0.005	—	—
34	क्रोमिक एसिड और क्रोमेटस (सी आर के रूप में) पानी में विलेय)	—	0.5	—	—
35	क्रोमस साल्टस (सी आर के रूप में)	—	0.5	—	—
36	कॉपर फसु	—	0.2	—	—
37	काटन धूल, कच्ची	—	0.2 *	—	—
38	क्रिसोल, सभी आइसोमर - त्वचा	5	22	—	—

39	सायनाइडस (सीसी एन के रूप में)-त्वचा	—	1	—	—
40	सायनोजेन	10	20	—	—

\* लाईन मुक्त धूल जो वर्टीकल इलुट्रीएटर काटन-धूल सम्पलर द्वारा मापी गई।

1	2	3	4	5	6
41	डी0 डी0 टी0 (डाईक्लोरोडाइफिनायल ट्राइक्लोरोइथेन)	—	1	—	—
42	डिमेटोन — त्वचा	0.01	0.1	—	—
43	डोयाजिनोन-त्वचा	—	0.1	—	—
44	डायब्युटाइलो थैलेट	—	5	—	—
45	डाइक्लोरेबीस (डी डी वी पी) — त्वचा	0.1	1	—	—
46	डाइएल्लिडन — त्वचा	—	0.25	—	—
47	डाइनाइट्रोबेनजीन (सभी आइसामर) — त्वचा	0.15	1	—	—
48	डाइनाइट्रोटोलवीन — त्वचा	—	1.5	—	—
49	डाइफिनायल (बाईफिनायल)	0.2	1.5	—	—
50	एन्डोसल्फेन (थायोडेन-त्वचा)	—	0.1	—	—
51	एन्ड्रिन — त्वचा	—	0.1	—	—
52	इथायल एसीटेट	400	1400	—	—
53	इथायल एल्कोल	1000	1000	—	—
54	इथायल अमीन	10	18	—	—
55	फलोराइड (एफ के रूप में)	—	2.5	—	—
56	फलोरीन	1	2	2	4
57	फोरमेलडीहाइड (एस0 सी0)	1.0	1.5	2	3
58	फोर्मिक एसिड	5	9	—	—
59	गैसोलीन	300	900	500	1500
60	हाइड्राजीन-त्वचा (एस. सी.)	0.1	0.1	—	—
61	हाइड्रोजन क्लोराइड सी	5	7	—	—
62	हाइड्रोजन सायनाइड त्वचा सी	10	10	—	—
63	हाइड्रोजन फलोरीन (एफ के रूप में) — सी	3	2.5	—	—
64	हाइड्रोजन पर आक्साइड	1	1.5	—	—
65	हाइड्रोजन सल्फाइड	10	14	15	21
66	आयोडीन — सी	0.1	1	—	—

67	आयरन आक्साइड फ्यूम (एफ ई ओ) (एफ ई के रूप में)	—	5	—	—
68	आइसोएमायल एसीटेट	100	525	—	—
69	आइसोएमायल एल्कोहल	100	360	125	450
70	आइसोब्यूटायल एल्कोहल	50	150	—	—
1	2	3	4	5	6
71	सीसा, इनऑर्गेनिक धूले और फ्यूम	—	0.15	—	—
72	लिनडेन-त्वचा	—	0.5	—	—
73	मेलाथिओन-त्वचा	—	10	—	—
74	मेगनीज धूल और सम्मिश्रण (एम एन के रूप में) -सी	—	5	—	—
75	मेगनीज फ्यूम (एम एन के रूप में)	—	1	—	—
76	पारा (एच जी के रूप में) - त्वचा				
	i) एल्कायल सम्मिश्रण	—	0.01	—	0.03
	ii) सिवाय एल्कायल वाष्प के सभी रूप	—	0.05	—	—
	iii) एटायल और इनऑर्गेनिक सम्मिश्रण	—	0.1	—	—
77	मिथायल एल्कोहल (मिथानोल) -त्वचा	200	260	250	310
78	मिथाइल कोलोसाल्व (2-मिथोक्सी-इथेनोल) - त्वचा	5	16	—	—
79	मिथायल आइसोब्यूटाइल किटोन	50	205	75	300
80	मिथायल आइसोसायनेट-त्वचा	0.02	0.05	—	—
81	निकेल कार्बोनायल (एन आई के रूप में)	10	50	15	75
82	निकेल कार्बोनायल (एन आई के रूप में)	0.05	0.35	—	—
83	नाइट्रिक एसिड	2	5	4	10
84	नाइट्रिक आक्साइड	25	30	—	—
85	नाइट्रोबेनजीन-त्वचा	1	5	—	—
86	नाइट्रोजन डाइआक्साइड	3	6	5	10
87	आयल मिस्ट मिनरल	—	5	—	10

88	ओजोन	0.1	0.2	0.3	0.6
89	पैराथिओन-त्वचा	—	0.1	—	—
90	फिनोल — त्वचा	5	19	—	—
91	फोरेट (थिमेट) — त्वचा	—	0.05	—	0.2
92	फॉसजीन (कार्बोक्साइल क्लोराइड)	0.1	0.4	—	—

---

1	2	3	4	5	6
93	फॉसफीन	0.3	0.4	1	1
94	फासफोरिक एसिड	—	1	—	3
95	फासफोरस (पीला)	—	0.1	—	—
96	फासफोरस पेन्टाक्लोराइड	0.1	1	—	—
97	फासफोरस ट्राईक्लोराइड	0.2	1.5	0.5	3
98	पिअरे एसिड — त्वचा	—	0.1	—	0.3
99	पिरिडीन	5	15	—	—
100	सिलेन(सिलिकोन टैट्राह्यूड्राइड)	5	7	—	—
101	सोडियम हाइड्रोक्साइड—सी	—	2	—	—
102	सटाइरीन, मोनोमर (फिनायल — इथायलीन)	50	215	100	425
103	सल्फर डाइआक्साइड	2	5	5	10
104	सल्फर हैक्सापलोराइड	1000	6000	—	—
105	सल्फ्यूरिक एसिड	—	1	—	—
106	टैट्राइथयल लेड (पी बी के रूप में ) — त्वचा	—	0.1	—	—
107	टोलपून (टोलपुल)	100	375	150	560
108	ओ—टोलवीडीन —त्वचा (एस. सी)	2	9	—	—
109	ट्राइब्युटवी फास्फेट	0.2	2.5	—	—
110	ट्राइक्लोराइथायलीन	50	270	200	1080
111	यूरेनियम प्राकृति (यू के रूप में)	—	0.2	—	—
112	विनायल क्लोराइड (एच.सी.)	5	10	—	—
113	वेलडिंग फ्यूम	—	5	—	—
114	जाइलीन (ओ—एम—पी—आइसोमर)	100	435	150	655
115	जिंक आक्साइड (i) फ्यूम (ii) धूल (कुल धूल)	— —	5.0 10.0	— —	10 —
116	जिरकोनियम सम्मिश्रण (जेड आर के रूप में)	—	5	—	10

पी पी एम 250 सैं. और एच जी के 760 मि० मी० पर वोल्यूम से दूषित वायु के प्रति दस लाख  
भाग में वाष्प अथवा गैस के भाग

मि.ग्रा./मी. वायु के प्रति क्यूबिक मीटर में पदार्थ के मिली ग्राम

\* एक दिन में 4 बार सेअधिक नहीं और आनुक्रमिक उच्छन्नों में कम से कम 60 मिनट  
का अंतराल हो ।

\*\* मि.ग्रा./मी. = मालीक्यूलर भार x पी पी एम



जी.	अधिकतम सीमा का द्योतक है ।
त्वचा उच्छन्न	त्वचीय मार्ग से जिसमें श्लेष्म झिल्ली और आंख भी सम्मिलित हैं, होने वाले समग्र को संभाव्य अभिदाय का द्योतक है ।
एस.सी.	संदिग्ध मानवीय कर्कट जनकों का द्योतक है ।
एच.सी.	कुष्ठ मानवीय कर्कट जनकों का द्योतक है ।

पदार्थ	अनुज्ञ टाइम-बेएड औसत सांद्रता (टी डब्लू ए) (8 घंटे)
सिलिका, एस आई ओ	
(क) स्फाटकीय	
(i) स्फटिक	
(1) धूल गणना के रूप में	10600 एम पी पी सी एम 2% स्फटिक + 10
(2) सांस लेने योग्य धूल के रूप में	$\frac{10}{\% \text{ सांस लेने योग्य स्फटिक}}$ + मि.ग्रा./मी.
(3) कुल धूल के रूप में	$\frac{30}{\% \text{ स्फटिक} + 3}$ + मि.ग्रा./मी.
(ii) क्रिस्टोवेलाइट	स्फटिक के प्रति दी गई सीमा से आधी ।
(iii) ट्राइडवमाइट	स्फटिक के प्रति दी गई सीमा से आधी ।
(iv) सिलीका, फ्यूस्ड	वह सीमा जो स्फटिक के लिए है ।
(v) ट्राइपोली	वह सीमा जो मद (2) में सूत्र में स्फटिक के प्रति दी गई है ।
(ख) अर्गोफस सिलिकेट्स एसबेस्टस (एच सी)	10 मि.ग्रा./मी. कुल धूल *फाइबर्स/मि.ली. लंबाई में 5 मी. से अधिक और चौड़ाई अनुपात 3:1 के समतुल्य या अधिक है ।
पोर्टलैंड सीमेन्ट	10मि0ग्रा0/मी0 कूल धूल जिसमें स्फटिक 1% से कम है ।
कोयला धूल	2 मि0ग्रा./मी.सांस लेने योग्य धूल का भाग जिसमें स्फटिक 5% से कम है ।

एम पी पी सी एम

लाईट -फील्ड तकनीकों द्वारा गणित इकपिंगर  
सैम्पल पर आधारित, वायु के प्रति क्यूबिक मीटर  
में दस लाख कण ।

\* जैसा कि 400-450x मैग्निफिकेशन (4 मि.मी. आब्जेक्टिव फेस कन्ट्रास्ट इल्युमिनेशन पर मेक्वरेन  
फिल्टर विधि द्वारा विनिश्चित)

सांस लेने योग्य धूल निम्नलिखित लक्षणों वाला भाग जो साइज सलैक्टर से गुजरता है :

एअरोडायनमिक व्यास (मी) (यूनिट इनसिटी सफीयर)	सलैक्टर से ——— गुजरने वाला %	गुजरने वाला %
< 2		90
2.5	75	
3.5	50	
5.0	25	
10		0

#### प्रारूप -1

#### (नियम 23 (1) देखें)

**भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजन करने वाली स्थापनाओं के  
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**

1. नियोजन का नाम तथा पता
2. स्थापन का नाम और अवस्थिति जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य होना है ।
3. स्थापन का डाक पता ।
4. स्थापन का पूरा नाम और स्थायी पता, यदि कोई हो ।
5. स्थापन के प्रबंधक अथवा उसके पर्यवेक्षक और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता ।
6. स्थापन में हो चुके/होने वाले भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य की प्रकृति ।
7. किसी दिन नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण कार्यकारों की अधिकतम संख्या ।
8. भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अनुमानित तारीख ।
9. भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य समाप्त होने की अनुमानित तारीख ।